

प्रेषक,

हिमांशु कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक: 09 मार्च, 2019

विषय :- प्रदेश में खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

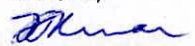
उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-3161/86-2018-183/2011, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तथा तत्संलग्न उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 अधिसूचना संख्या-342 /86-2019-183/2011, दिनांक 09.03.2019 द्वारा प्रख्यापित की गयी है।

2. अतः खनिजों के भण्डारण के सम्बन्ध में उक्त संशोधित नियमावली-2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

- (क) नदी तल में स्वीकृत बालू, मौरम, बजरी, बोल्टर के खनन पट्टेधारकों को सम्बन्धित जनपद को छोड़कर प्रदेश के अन्य जनपदों में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जायेगी।
- (ख) नदी तल में स्वीकृत बालू, मौरम, बजरी, बोल्टर के खनन पट्टा क्षेत्र से 05 कि0मी0 के घेरे के बाहर ही खनिजों के भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
- (ग) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 के अनुक्रम में प्रदेश के स्टोन क्रेशर उद्योग व अन्य खनिज आधारित उद्योगों के भी भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जायेंगे।
- (घ) उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अधीन पूर्व में जारी अनुज्ञप्तियां, उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 प्रारम्भ होने के दिनांक से 03 माह की अवधि के लिये विधिमान्य होंगी। उक्त अवधि के उपरान्त भण्डारित खनिज राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी और ऐसी सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश सं0-2595/86-2018-12(सा0)/2018 दिनांक 03.12.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

कृपया उक्त सीमा तक सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.12.2018 संशोधित समझा जाये तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,



(हिमांशु कुमार)

प्रमुख सचिव।

9

संख्या-583(1)/86-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

अनु सचिव।